राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक:एफ 5(2)आप्र.एवं सहा./चारा डिपो/2014/6911-21 जयपुर,दिनांक 1.6.15

जिला कलेक्टर (सहायता)
जैसलमेर।

विषयः– आभव सम्वत 2071 में रबी फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनुदानित दर पर चारा वितरण हेतु चारा डिपो स्वीकृति के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1(3) आ.प्र.सआ/ओलावृष्टि/2015/6206–25 दिनांक 13.05.2015 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह अवधि 31.07.2015 तक प्रभावी रहेगी। अभावग्रस्त क्षेत्रों में लघु व सीमान्त श्रेणी के कृषक पशुपालकों को चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अभाव अवधि तक चारा डिपो संचालित करने हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते है।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.11.2013 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मानदण्डो के अनुसार पशु शिविर से बाहर के पशुओं के लिए चारा परिवहन अनुदान राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्न शर्तो के अन्तर्गत स्वीकृत करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता हैः–

1. यह परिलाभ लघु तथा सीमान्त श्रेणी के कृषक पशुपालको को दिया जायेगा।
2. इसमें अनुदान की राशि चारा परिवहन की वास्तविक लागत तक देय होगी।
3. पशुओं की संख्या का आंकलन पशु गणना पर आधारित तथा उससे संगत (Consistent) होने चाहिए।
4. जिलें में चारा डिपो खोलने हेतु स्थानों का चयन कर जिला कलेक्टर चारा डिपो की संख्या के एवं इसी अनुरूप बजट आवंटन के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु इस विभाग को प्रेषित करेगें। जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा उन्हें चारा डिपो खोलने की स्वीकृति तथा आवश्यकता अनुसार बजट आवंटन किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में पुनः निम्न प्रकार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. **चारा डिपो संचालक संस्थाऐं–**
जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायतों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को चारा डिपों संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए। यदि उक्त में से कोई ऐजेन्सी डिपो संचालन हेतु उत्सुक न हो तो जिले में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं को संस्थाओं को यह कार्य दिया जा सकता है।
2. **चारे का क्रय–**
संस्था द्वारा डिपो पर चारा, राजस्थान के गैर अभावग्रस्त जिलों अथवा पड़ौसी राज्यों से क्रय कर वितरित किया जाए। चारे का वितरण पशु पालक को बिना लाभ–हानि के आधर पर किया जाए।